न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/85 दायरा दिनांक : 01.07.2024

उनवान

अधीशाषी अभियंता (सहायक अभियंता) जल संसाधन विभाग सिंचाई विभाग, भवानीमण्डी, जिला झालावाड (राज.) जर्ये सहायक अभियंता संतोष कुमार बैरवा पिडावा, (भवानीमण्डी) जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– धापू बाई पत्नी प्रहलाद सिंह आयु 45 वर्ष जाति धाकड़, निवासी ग्राम सामरिया, तहसील सुनेल, जिला झालावाड (राज.)
2– रामदयाल आत्मज रामचन्द्र
3– दौलतराम आत्मज रामचन्द्र
4– राकेश आत्मज रामचन्द्र
5– काली बाई पुत्री रामचन्द्र
6– श्यामलाल आत्मज देवीलाल
7– हरीराम आत्मज देवीलाल
8– जेतराम आत्मज देवीलाल
9– कारूलाल आत्मज बाला
10– भगवान सिंह आत्मज बाला
11– हेमन्त कुमार आत्मज मोहनलाल
12– हरीश कुमार आत्मज मोहनलाल
13– कमला बाई पत्नी मोहनलाल
14– शांति बाई पत्नी मोहनलाल
जाति नाई निवासीगण जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड
15– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड राज0
16– भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन सिंचाई विभाग, झालावाड

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवालअभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हुकमचन्द कुमावत व श्री उम्मेद सिंह लोधा रेस्पोडेंट कम 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित

निर्णय दिनांक :04.12.2024

ये अपील उपखण्ड अधिकारी पिडावा के प्रकरण संख्या –15/2019/प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 10.12.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं ऑर्डर 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 जा. दी. पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सामरिया, तहसील पिडावा की जमाबंदी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सम्वत् 2069 से 2072 के अनुसार खाता संख्या नया 333 पुराना 289 में दर्ज खसरा नं. 847 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 922 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 16 आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय दिनांक 10.12.2019 से वादी/रेस्पोडेंट कम 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर प्रतिवादी कम 16/अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है किरेस्पोडेंट कम 1 धापू बाई के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम सामरिया, तहसील पिडावा (सुनेल) की खसरा नं. 847 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 922 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा आराजी में अपना 1/4 हिस्सा बताते हुए बंटवारे का वाद पेश किया था एवं दावे के साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया था कि उक्त भूमि के मामले में 1/19 बिस्वा पर अपीलांट का खरीद से ही कब्जा होने से मूल वाद के निस्तारण तक प्रस्तावित नहर (धोरा) की मुआवजा राशि जारी नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी कम 15 व 16 को पाबंद किया जावे। चूंकि मामले में नहर से अवाप्त हुई भूमि के मुआवजे की राशि के मामले में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गयी थी इसलिए अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र पेश न कर सीधे ही बहस कर दी थी। परंतु अपीलांट को दिनांक 20.06.2024 को जानकारी हुई कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादित आराजी के मामले में खसरा नं. 847 की 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश भी पारित कर दिया जबकि रेस्पोडेंट/वादिनी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद के निस्तारण तक मुआवजा राशि के मामले मे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम–1/वादिनी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 आर.टी.एक्ट एवं आदेश 39 नियम–1व 2 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया था उसमें मुख्य रूप से सहायता चाही गई थी कि खसरा नम्बर–847 के उत्तर दिशा वाले भाग में पूर्व से पश्चिम पानी के बहाव के लिए प्रस्तावित होकर निर्माण होना है उसमें आने वाली भूमि का मुआवजा प्रार्थी के अलावा अन्य किसी भी खातेदार को जारी नहीं करने बाबत् अप्रार्थी क्रम 15 व 16 को पाबंद किया जावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्लिडिंग से परे निर्णय जेर अपील पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2019 में अंकित किया है कि अभिभाषकगण की सहमति जाहिर की गई है। परन्तु आदेशिका पर किसी भी पक्षकार या अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है एवं धारा–212 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों की परिधि में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम–1/वादिनी के द्वारा चाही गई सहायता से परे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर–847 की 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि की रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति बनाये रखे जाने का भी आदेश पारित कर दिया। जबकि कानूनन ऐसा आदेश अंतरिम आदेश के रूप में जारी किया जा सकता है परन्तु अंतिम आदेश के रूप में जारी नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय ने धारा–212 आर.टी.एक्ट एवं आदेश 39 रूल–1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी. के प्रावधानों पर उचित गौर नहीं फरमाया, इसलिए उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजी के दोनों तरफ नहर (धोरा) का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। केवल विवादित आराजी पर रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश होने से इस

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजी की अधिकृत भूमि पर निर्माण कार्य रूक गया है। जबकि इस आराजी के दोनों तरफ नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश के कारण आमजन नहर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं एवं सिंचाई से वंचित हो रहे हैं एवं नहर के निर्माण में लगा लाखों रूपये का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। जबकि पक्षकारान में विवाद मुआवजे में प्राप्त होने वाली राशि किस पक्ष को मिलना चाहिए यह मूल वाद में तय होना है। ऐसी स्थिति में मुआवजे की राशि के बारे में स्थगन आदेश जारी करने के बारे में अपीलान्ट को कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु प्लिडिंग से एवं कानूनी प्रावधानों से परे रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.12.2019 में वर्णित खसरा नम्बर–847 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि की मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 21.06.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा लिखित बहस पेश की जिसमें अपील मीमो में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी. सी. के तहत प्रस्तुत कर मुख्य रूप से सहायता चाही गयी थी कि खसरा नम्बर 847 के उत्तर दिशा वाले भाग मे पूर्व से पश्चिम पानी के बहाव के लिये प्रस्तावित होकर निर्माण होना है। इसमें आने वाली भूमि का मुआवजा प्रार्थी के अलावा अन्य खातेदार को जारी नही करने बाबत अप्रार्थी क्रम 15 व 16 को जारी नही करने बाबत सहायता चाही थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स से परे अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीनआदेश दिनांक 10.12.2019 में अंकित किया है कि अभिभाषकगण की सहमति जाहिर की गयी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर किसी भी पक्षकार या अधिवक्ता के हस्ताक्षर नही है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पिकिंग आदेश नही है। धारा 212 आर.टी.एक्ट एवं आदेश 39 (1) नियम 1 व 2 सी पी सी के प्रावधानों मे भूमि के रिकॉर्ड व यथास्थिति का आदेश अन्तिम आदेश के रूप में जारी नही किया जा सकता है अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पिकिंग आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु परउचित गौर नही फरमाकर निर्णय जेर अपील पारित किया है। विवादित आराजी के दोनो तरफ नहर (धोरा) का कार्य पूर्ण हो चुका है केवल विवादित आराजी पर रेकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश होने से इस आराजी की अधिकृत भूमि पर निर्माण कार्य रूक गया है दोनो तरफ का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति के कारण आमजन नहर का उपयोग नही करपा रहे है एवं सिंचाई से वंचित हो रहे है। नहर के निर्माण मे लगा लाखों रूपयो का उपयोग सिंचाई

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

के लिये नही हो पा रहा है जबकि पक्षकारान ने मुख्य रूप से विवाद मुआवजे की राशि का है जो मूल वाद मे तय होना है ऐसी स्थिति मे मुआवजे की राशि की सीमा तक स्थगन आदेश जारी करने के बारे मे अपीलान्ट को कोई आपत्ति नही है कि प्लीडिंग से परे एवं कानूनी प्रावधानो से परे रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति का आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। न्यावाहत मे एवं प्रकरण की मेरिट को देखते हुए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.12.19 निरस्त फरमार्या जावे एवं खसरा नम्बर 847 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश निरस्त किया जावे, एवं मुआवजे की राशि अदा करने के मामले में ता फैसला वाद मुआवजे की राशि पर रोक लगाने में अपीलान्ट को कोई आपत्ति नही है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा लिखित बहस पेश कर कथन किया कि ग्राम सामरिया पटवार हल्का सामरिया तहसील पिड़ावा (सुनेल) जिला झालावाड़ राज० में स्थित जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 के अनुसार खाता संख्या नया 333 पुराना 289 में दर्ज आराजी खसरा नं. 847 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 922 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा कुल खसरा किता 02 कुल रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा आराजी में रेस्पोडेन्ट नं. 01 का 1/4 हिस्सा दर्ज हैं। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण एवं अपीलान्ट के विरूद्ध अन्तर्गत् धारा 53, 209 आर० टी० एक्ट० का वाद पेश किया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत् धारा 212 आर० टी० एक्ट० का पेश कर माननीय विचारण न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिए निवेदन किया अपीलान्ट् द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर प्रार्थना पत्र के अनुतोष पर सहमति जाहिर की माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10/12/2019 को आदेश पारित कर अस्थायी निषेधाज्ञा से भूमि की मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे एवं अप्रार्थी नं. 15 वादग्रस्त आराजी की मुआवजा राशि का चैक का वितरण नहीं करे। उक्त आदेश की जानकारी अप्रार्थीगण/अपीलान्ट् को भली–भांती रही हैं। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट् ने दिनांक 27/06/2024 को अपील पेश की तथा धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया। बाद अपीलान्ट् की ओर से लिखित बहस दिनांक 05/09/2024 को पेश की गई। अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का उत्तर लिखित माननीय न्यायालय में रेस्पोडेन्ट नं. 01 धापू बाई की ओर से सादर पेश हैं।

विवादित आराजी खसरा संख्या 847 क्षेत्रफल 03 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सख्या 922 क्षेत्रफल 04 बीघा 02 बिस्वा कुल खसरा किता 02 कुल क्षेत्रफल 07 बीघा 16 बिस्वा में प्रार्थीया/रेस्पोडेन्ट का 1/4 हिस्सा दर्ज खाते है तथा सह–खातेदारान के मध्य आपसी समझाईश पर बंटवारा होकर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीयां के पास उत्तर दिशा वाला भाग 39 बिस्वा (01 बीघा 19 बिस्वा) पर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीयां का कब्जा काश्त है जिसमें रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीयां ने 150 पौधे तथा संतरे का बगीचा तथा काश्त होती हैं। गागरीन मध्यम सिंचाई परियोजना से सिंचाई के लिए मुख्य नहर भी खसरा संख्या 847 के पूर्व दिशा में दक्षिण दिशा से उत्तर को तैयार की जा रही हैं। इस नहर के लिए छोटी कैनाल तैयार करने के लिए सिंचाई विभाग जल संसाधन विभाग ने आउट लाइन रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीयां के कब्जे काश्त की आराजी में बनाई हैं। मौके पर कानूनी रूप से राजस्व रिकॉर्ड में सह–खातेदारान के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं होने से अन्य सह–खातेदार आराजी में मदाखलत व मजाहमत करते हैं। इस कारण वाद के निस्तारण तक रेस्पोडेन्ट ने माननीय विचारण न्यायालय से अस्थायी निषेधाज्ञा के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अनुतोष की मांग की गई। जिसे माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.12.2019 को स्वीकार कर अप्रार्थीगण/अपीलान्ट् के विरूद्ध आदेश पारित किया हैं। यह आदेश उचित सुनवाई एवं कानून की रोशनी में माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर ही रेस्पोडेन्ट नं. 01 को अनुतोष दिया हैं। अपीलान्ट् की अपील में उठाया गया यह कथन गलत है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग से परे अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की हैं। यह कथन एवं आपत्ति गलत है तथा यह भी कथन गलत है कि न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश नही हैं। यह गलत अंकित है कि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर किसी भी पक्षकार या अधिवक्ता के हस्ताक्षर नही हैं। हस्ताक्षर होना आवश्यक नही है तथा आदेश स्पीकिंग आदेश हैं। जिसकी पालना अपीलान्ट् द्वारा निरन्तर की गई हैं। अपीलान्ट ने अपनी बहस में उक्त आदेश दिनांक 10/12/2019 की जानकारी अपीलान्ट् को दिनांक 20/06/2024 को होना गलत अंकित किया है क्योंकि रेस्पोडेन्ट नं. 01 धापूबाई ने उक्त आदेश की प्रति के साथ दिनांक 24/12/2019 को प्रार्थना पत्र बाबत् माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के आदेश दिनांक 10/12/2019 प्रकरण संख्या 15/2019 के स्थगन की पालना हेतु। रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 26/12/2019 को भूमि अवाप्त अधिकारी जल संसाधन सिंचाई विभाग झालावाड़ को तथा अधीशाषी अभियंता, सहायक अभियंता जल संसाधन, सिंचाई विभाग खण्ड भवानीमण्डी को सलंग्न– 1. आदेश दिनांक 10/12/2019, 2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत् धारा 212 आर० टी० एक्ट० का डाक द्वारा भिजवाये गये थे। जो उन्हे प्राप्त हो गये। इस कारण अपीलान्ट् के द्वारा धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र असत्य है तथा जानकारी की तारीख दिनांक 20/06/2024 वर्णित करना भी असत्य हैं। इस कारण अपील मियाद अधिनियम से बाधित है क्योंकि माननीय अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10/12/2019 की जानकारी उपस्थित पर अपीलान्ट को हुई हैं तथा रेस्पोडेन्ट धापूबाई द्वारा दिनांक 26/12/2019 को भेजे गये प्रार्थना पत्र 24/12/2019 को तैयार किया) के प्राप्त होने से यह माना गया की अपीलान्ट् को आदेश की जानकारी दिसम्बर 2019 में हो गई थी। इस कारण अपील लगभग 56 माह (1695) दिन बाद अपील पेश की हैं। इस कारण अपील मियाद बहार होने से काबिल खारिज हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 एवं सिविल प्रकिया संहिता की धारा 151 माननीय न्यायालय को अधिकार स्वयं विवेक पर आदेश/निर्णय पारित करने का अधिकार देती है जिसके आधार पर माननीय विचारण न्यायालय ने जो अनुतोष वादी/प्रार्थी को दिया जा सकता हैं। इसकी रोशनी में माननीय विचारण न्यायालय ने धारा 53 आर० टी० एक्ट० के वाद में सलंग्न प्रार्थना पत्र 212 आर. टी. एक्ट की सुनवाई पर दिनांक 10.12.2019 को उचित एवं उपयुक्त आदेश पारित किया हैं। जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही हैं। यह आदेश उभय पक्षकारान के लिए अहित कारित नहीं हैं। इस कारण अपील निरस्त होने योग्य हैं। मौके पर नहर से सिंचाई हो रही हैं। यदि लिंक नहर से सिंचाई नही होती तो काश्तकार शिकायत पत्र या विरोध पत्र जिलाधिकारी श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला भूमि अवाप्त अधिकारी के पास शिकायत काश्तकार द्वारा की जाती ऐसा कोई शिकायत पत्र की प्रति अपीलान्ट् ने रेस्पोडेन्ट धापूबाई को अपील के साथ उपलब्ध नही करवाई हैं। अपीलान्ट् के समक्ष नहर की पूर्णता का महत्वपूर्ण प्रश्न नही है यदि यह होता तो लगभग 05 वर्ष की अवधि जल संसाधन सिंचाई विभाग व्यतीत नहीं करते। अन्य कोई कारण हैं। जिसकी पूर्ती के लिए अपील अपीलान्ट् द्वारा लगभग 56 माह व्यतीत होने के बाद पेश किया जाना उचित नही हैं। माननीय अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

10.12.2019 परिपूर्ण हैं। जिसमें हस्तक्षेप किया अथवा संशोधन किया जाना रेस्पोडेन्ट नं. 01 धापू बाई के हितो के विपरीत होगा। रेस्पोडेन्ट धापू बाई को अपरिमित क्षति होगी अप्रार्थीगण धापूबाई की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी को नष्ट कर सकते है, बेदखल कर सकते है, अजनबी ताकतवर व्यक्तियों को विक्रय दान, रहन कर कब्जे में मदाखलत कर सकते हैं। इस कारण माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2019 को यथावत रखा जाकर उस आदेश की माननीय अपील न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना उचित एवं न्यायहित में आवश्यक है ताकि रेस्पोडेन्ट धापूबाई के खातेदारी एवं कब्जे की आराजी मूल वाद संख्या 19/2019 अन्तर्गत् धारा 53, 209 आर० टी० एक्ट० के निस्तारण तक आराजी यथावत रूप में मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति बना रहे एवं मुआवजा राशि का चैक का भुगतान वितरण मूल वाद के निस्तारण के पश्चात् भूमि का बंटवारा होने एवं बंटवारा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में अमल दरामद होने के बाद चैक राशि के भुगतान का वितरण रेस्पोडेन्ट धापूबाई को प्राप्त हो सके। इसी तथ्य पर गोर कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा ने उचित आदेश कानून की रोशनी में विधि के अनुसार अनुतोष रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीया धापूबाई के पक्ष में पारित किया है जो उचित हैं। अतः अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस दिनांक 05/09/2024 का उत्तर लिखित बहस माननीय न्यायालय के समक्ष सादर पेश कर रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीया की प्रार्थना है कि प्रस्तुत अपील अधीशाषी अभियंता द्वारा पेश की गई हैं। खारीज की जाकर माननीय विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10/12/2019 को यथावत रखते हुए। अपील का निस्तारण करने की कृपा करें।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। वादी रेस्पो नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में जमाबंदी संवत 2069–2072 के अनुसार खाता संख्या नया 333 पुराना 289 की आराजी ख.नं. 847, 922 कुल किता 2 कुल रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा में दर्ज अपने 1/4 हिस्से के विभाजन हेतु धारा– 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद पेश कर इस मूल वाद के साथ धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 13 की शामलाती खाते की आराजी ख.नं. 847, 922 में से विक्रेता बालाराम, बापूलाल पिता मन्ना का 1/4 भाग को प्रार्थिया ने दिनांक 07.06.2010 को खरीदकर खसरा नं. 847 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा में से 1 बीघा 19 बिस्वा उत्तर दिशा भाग का कब्जा प्राप्त किया है। वक्त खरीद से अप्रार्थीगण ने अपनी स्वेच्छा से खसरा नं. 847 में, उत्तर दिशा का हिस्सा दिया तब उनकी सोच यह रही थी कि अच्छी उपजाऊ भूमि अन्य सहखातेदार रखकर हल्की भूमि प्रार्थिया को दी जावे जो प्रार्थिया ने स्वीकार कर आराजी को उपजाऊ बनाने के लिए मेहनत की तथा अपने हिस्से की भूमि में संतरे के पौधे लगाकर बगीचा तैयार किया है। गागरोन मध्यम सिंचाई परियोजना से सिंचाई के लिए निकलने वाली लिंक नहर में काम आने वाली भूमि का भाग प्रार्थिया को दी गयी आराजी में से उपयोग होना है। लिंक नहर (धोरा) में काम आने वाली भूमि का नुकसान एवं संतरे के पेड़ों हो हटाने का नुकसान प्रार्थिया को हो रहा है। इस कारण मुआवजा राशि भी प्रार्थिया को ही प्राप्त होनी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

चाहिए। खाता शामलाती होने से अप्रार्थीगण व्यक्तिगत मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। इस मुआवजा राशि पर अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से हक, अधिकार, हिस्सा भाग निहित नहीं है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण का जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे ग्राम सामरिया की खसरा नं. 847 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा के उत्तरी दिशा वाले भाग 1 बीघा 19 बिस्वा पर वक्त खरीद से ही प्रार्थिया का कब्जा काश्त है इसमें बेजा मदाखलत मजाहमत नहीं करे तथा मुख्य नहर से लिंक नहर (धोरा) जो खसरा नं. 847 के उत्तर दिशा वाले भाग में पूर्व से पश्चिम पानी के बहाव के लिए प्रस्तावित होकर निर्माण होना हैं उसमे आने वाली भूमि तथा नष्ट होने वाले संतरे के बगीचे की मिलने वाली मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी खातेदार को जारी नहीं की जावे। यदि यह तय नहीं हो तो मूल वादपत्र के निस्तारण तक मुआवजा राशि जारी नहीं की जावे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी नं. 15 व 16 को पाबंद किया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिनांक 10.12.2019 को निर्णय पारित किया कि उभयपक्ष अभिभाषकगण की सहमति से प्रकरण की आकस्मिकता को देखते हुए ताफैसका मूल वाद उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ये ग्राम सामरिया की आराजी ख़. नं. 847 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि की मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं अप्रार्थी सं. 15 वादग्रस्त आराजी की मुआवजा राशि के चेक का वितरण नहीं करें।

अपीलांट अप्रार्थी नं. 16 ने अधीनस्थ न्यायालय की उक्त निर्णय दिनांक 10.12.2019 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दि. 10.12.2019 में अंकित किया है कि अभिभाषकगण की सहमति जाहिर की गयी है परंतु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर किसी भी पक्षकार या अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पिकिंग आदेश नहीं है। विवादित आराजी के दोनों तरफ नहर (धोरा) का कार्य पूर्ण हो चुका है केवल विवादित आराजी पर रेकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश होने से भूमि पर निर्माण कार्य रूक गया है। दोनों तरफ का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। रेकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति के कारण आमजन नहर का उपयोग नहीं कर पा रहे है एवं सिंचाई से वंचित हो रहे है। नहर के निर्माण में लगे लाखों रूपयों का उपयोग सिंचाई के लिये नहीं हो पा रहा है। जबकि पक्षकारान में मुख्य रूप से विवाद मुआवजे की राशि का है जो मूल वाद में तय होना है ऐसी स्थिति में मुआवजे की राशि की सीमा तक स्थगन आदेश जारी करने के बारे में अपीलांट को कोई आपत्ति नहीं है। अतः ख. नं. 847 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश निरस्त किया जावे एवं मुआवजे की राशि अदा करने के मामले में ताफैसला वाद मुआवजे की राशि पर रोक लगाने में अपीलांट को कोई आपत्ति नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2019 के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या ही यह स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा का यह आदेश एक स्पिकिंग आदेश नहीं है। अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश में मुख्य रूप से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति इन तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से विवेचन करने के पश्चात स्पष्ट निष्कर्ष अंकित करते हुए आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इन तीनों बिंदुओं पर ध्यान दिये बिना ही आदेश पारित करने में वैधानिक भूल की है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संदर्भित प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से विवादित आराजी ख. नं. 847 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा की भूमि में से निकलने वाली लिंक नहर (धोरे) के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली भूमि के बदले प्राप्त होने वाली मुआवजा राशि के हक व हिस्से के कानूनन अधिकार का विवाद निहित है। विवादित आराजी शामलाती खाते की आराजी है। शामलाती खाते की आराजी पर विभाजन से पूर्व प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच आराजी पर समान हक एवं अधिकार निहित होने से सहखातेदारों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबद करना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। प्रार्थिया रेस्पोडेंट नं. 1 विवादित आराजी के 1/4 हिस्से की रिकॉर्डेड खातेदार है। विवादित आराजी के किस भाग पर प्रार्थिया का हिस्सा व अधिकार रहेगा, इसका निर्धारण मूल वाद में होना है। बंटवारे के दावे के लंबित रहते हुए जरिये प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थिया का यह प्रार्थना करना कि ग्राम सामरिया की ख. नं. 847 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा के उत्तर दिशा वाले भाग 1 बीघा 19 बिस्वा पर वक्त खरीद से ही प्रार्थिया का कब्जा काश्त है अतः इसमें मदाखलत, मजाहमत नहीं करे एवं प्रस्तावित लिंक नहर (धोरे) के निर्माण में आने वाली भूमि के मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी खातेदार को जारी नहीं किया जावे, विधिसम्मत नहीं है। बंटवारे के दावे के अंतिम रूप से निस्तारण से पूर्व विवादित आराजी के किसी निश्चित भू–भाग पर प्रार्थिया द्वारा अपना अधिकार मानना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रार्थिया द्वारा शामलाती, खाते की आराजी सहखातेदारों के मध्य विधिवत बंटवारा होने से पूर्व क्रय की गई है। विवादित आराजी के बंटवारे के दावे का अंतिम रूप से निधारण होने पर ही यह स्पष्ट होगा कि विवादित आराजी का कौनसा भू–भाग किस सहखातेदार के हिस्से में आयेगा एवं मुआवजा राशि का भुगतान किसे होना चाहिए परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश से नहर (धोरे) के निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न होने से आमजन नहर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं एवं जनहित को हानि भी पहुंच रही है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदुओं को प्रार्थिया/रेस्पोडेंट नं. 1 के पक्ष में स्वीकार करना विधिसम्मत नहीं है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में उभयपक्ष के अभिभाषकगण की सहमति होना अंकित किया है परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर किसी भी पक्षकार या उनके अधिवक्तागण के हस्ताक्षर नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2019 विवादित आराजी के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की सीमा तक जनहित एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए खारिज किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय में सहखातेदारों के मध्य लबित् बंटवारे के दावे के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सं. 15 को वादग्रस्त आराजी की मुआवजा राशि के चेक का वितरण ताफैसला मूल वाद तक नहीं करने के आदेश को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

04/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा